रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052024-254173
CG-DL-E-13052024-254173

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 13, 2024/वैशाख 23, 1946
No. 14]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 13, 2024/VAISAKHA 23, 1946

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2024

का.नि.आ. 14(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय अताशे (समन्वय), भारतीय दूतावास, मास्को के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्मलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, अताशे (समन्वय), भारतीय दूतावास, मास्को, (अनुसचिवीय राजपत्रित समूह ख) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वेतन वर्गीकरण और मैट्रिक्स में स्तर,— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमौं से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियासतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**
(1)	(2)	(3)	(4)
अताशे (समन्वय), भारतीय दूतावास, मास्को	1(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	**साधारण** केंद्रीय सेवा, समूह ख, राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रूपये)

चयन अथवा गैर-चयन पद	**सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा**	**सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं**	**क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हता पदोन्नत होने वालों के मामले में लागू होंगी अथवा नहीं**
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां**	**प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा**	**यदि एक विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना कैसी है?**
(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्तिः** केंद्रीय सचिवालय सेवा और रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र सेना मुख्यालय, सिविल सेवा, समूह 'ख' के अनुभाग अधिकारीः-	लागू नहीं होता।

		(i) रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर सदृश पदधारी; और (ii) रक्षा मंत्रालय में न्यूनतम दो वर्षों का निरंतर कार्य अनुभव होना **वांछनीयः** (i) रूसी भाषा में प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा (ii) वित्त अथवा लेखा मामलों के प्रबंधन का न्यूनतम तीन माह का अनुभव **टिप्पण 1:** इस नियुक्ति के ठीक पहले केन्द्रीय सरकार के समान अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि तीन वर्षों से अनधिक होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति किए जाने हेतु अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।	

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/02/2023-रक्षा(स्था.1/समूह.1)]

मनीष त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2024

S.R.O. 14(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Attache (Coord), Embassy of India, Moscow in the Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called Ministry of Defence, Attache (Coord), Embassy of India, Moscow (Ministerial Gazetted Group B) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**
(1)	(2)	(3)	(4)
Attache (Coord), Embassy of India, Moscow.	1(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group B, Gazetted, Ministerial.	Level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**
(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	By deputation.	**Deputation:** Section Officers of the Central Secretariat Services and Armed Forces Headquarters Civil Services, Group ‘B’ in the Ministry of Defence,- (i). holding analogous post on regular basis in the Ministry of Defence; and (ii). possessing at least two years of continuous working experience in the Ministry of Defence. **Desirable:** (i). Certificate or Diploma in Russian Language. (ii). at least three months experience of handling Finance or Accounts matters. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central	Not applicable.

		Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(13)
The Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/02/2023-D(Estt.1/Gp.1)]

MANISH TRIPATHI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.05.13 19:58:41 +05'30'